

2021/601

**“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”**

**खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र**

( भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत )

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बोयडा की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 2074 - 2077 की खाता संख्या 22 में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति रामनाथी पुत्री लाला लाले चमाल दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति रामनाथी पुत्री कर्दमालाल लाले मेधवाल है।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति रामनाथी पुत्री लाला लाले चमाल के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति रामनाथी पुत्री कर्दमालाल लाले मेधवाल दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।


भू. अभि. निरीक्षक वृत्त कुडवाड़ा

पटवारी हल्का कुडवाड़ा

# “प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... कुवयक ५२ ..... तथा जाँच भू. अभि. निरीक्षक कुवयक ५२  
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति ..... रामनाथी पुत्री कन्हैयालाल पारि-चक्र ..... राजस्व  
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंखा की जाती है।

  
तहसीलदार साँगोद

## आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी ..... कुवयक ५२ ..... तथा जाँच भू. अभि. निरीक्षक कुवयक ५२  
तहसीलदार साँगोद की अभिशंखा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति ..... रामनाथी पुत्री कन्हैयालाल  
पारि-चक्र ..... दर्ज रिकार्ड की जाए।

उपरखण्ड अधिकारी  
उपरखण्ड साँगोद  
साँगोद जिला को

# “प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर ..... सांगोद

( शिविर स्थान ..... कुन्नाची पुत्री )

आदेश

दिनांक 16-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी ..... कुन्नाची पुत्री

व. भू. अ. नि ..... कुन्नाची पुत्री की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... सांगोद

नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... वापडा ..... तहसील ..... सांगोद ..... व

जिला ..... कोटा ..... की जमाबन्दी सम्बन्ध ..... 2074-2077 में खाता संख्या ..... 22

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
	वापडा	22	सांगोदी पुत्री का नाम है - चम्पा	सांगोदी पुत्री

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- 2744  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर